



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party -
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP03232026412553V
01-Sep-2023 06:40 PM
NEWIMPACC (SVy) up142447094/ PRAYAGRAJ/SADAR/ UP-AHD
SUBIN-UPUP1424470402064531876658V
SACHIV PHOOLCHAND SINGH SHIKHCHAD VIKASH NAINI PRJ
Article 4 Affidavit
Not Applicable

SACHIV PHOOLCHAND SINGH SHIKHCHAD VIKASH NAINI PRJ
Not Applicable
SACHIV PHOOLCHAND SINGH SHIKHCHAD VIKASH NAINI PRJ
100
(One Hundred only)



IN-UP03232026412553V

01/09/23

प्रारूप-अ

सत्र 2023-24 में नवव्यापित की जाने वाली हिप्पोमा इन कार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम सर्वेश चुमार सिंह एवं महेश कुमार सिंह द्वारा अध्यक्ष एवं सचिव पूलचन्द्र सिंह गिराण एवं विकास ट्रस्ट, रेही कला, टीएसएल०, नैनी, प्रयागराज -(उम्मी) रापथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

- यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा पूलचन्द्र सिंह तुलसी देवी गहविरालय ऑफ कार्मसी, रेही कला, टीएसएल० नैनी, प्रयागराज नामक हिप्पोमा इन कार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 रो किया जाना प्रस्तावित है।
- यह कि हमारी ट्रस्ट/संस्था के स्थागित्व में ग्राम रेही कला, पोस्ट टीएसएल०, तहसील करछना, जिला प्रयागराज में गांठा संख्या 1/3 रकम 0.1425 है, गांठा

Disclaimer Area:

- The authority of this Stamp-Certificate should be verified at your Identification card or using e-Stamp-Main-App or State-Hoarding.
- No stamp or e-Stamp can be used without its original copy and its serial number.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संख्या 1/4 रकमा 0.3870हो 0 कुल रकमा 0.5295हो अर्थात् 5295 वर्गमीटर (कुल रकमा 0.5295हो) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी याद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट/संख्या के स्वामित्व में नाम रेहीकला, पोर्ट टी०एस०एल, तहसील करघाना, ज़िला प्रभागराज में गाठा संख्या 1/3 रकमा 0.1425हो, गाठा संख्या 1/4 रकमा 0.3870हो 0 कुल रकमा 0.5295हो अर्थात् 5295 वर्गमीटर (कुल रकमा 0.5295हो) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संख्या की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01-07-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रलगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवरी के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के सम्मुख उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण रहमिति के सम्मुख निरीक्षण हेतु प्रसुत किया गया है।

* कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संख्या में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक लिक्षा परिषद से सम्बद्ध पात्रताम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पात्रताम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक लिक्षा परिषद ऊपर ३०लाखनल से सम्बद्ध संख्या एवं पात्रतामों के अतिरिक्त विन्ती आव्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई उन्य संख्या/पिण्डालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई०



आदि वज्र संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तीनाती द्रुत द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय नियोजन में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियोजन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अनितम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूछा रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फजी, कुमून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

मुझे संविद
ह० संविद

ह० संविद

SOLEMN AFFIDATORY
By Sri/Sir Sanjeev Kumar Singh identified by
I.D. No. 10-13253 Admitted by
Advocate Prayagraj

01/09/23

Sri Devi
Adv.
Notary